

परसपेक्टवि: छाप छोड़ते भारतीय पेटेंट

प्रलिस के लयि:

[वशिव बौधकि संपदा संगठन \(WIPO\)](#), [पेटेंट](#), [ट्रेडमारक](#), [बौधकि संपदा अधकिार \(IPR\)](#)

मेन्स के लयि:

नवपरवर्तन संस्कृतिका उदभव, आर्थकि वकिास में बढ़ते पेटेंट की भूमकिा

प्रसंग क्या है?

वशिव बौधकि संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization- WIPO) ने भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट फाइलर्स में महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो वर्ष 2022 में उल्लेखनीय 32% की वृद्धि को दर्शाता है।

- यह उपलब्धि भारत के 11 वर्ष के प्रभावशाली सफर को आगे बढ़ाती है और नवाचार को बढ़ावा देने में देश के कौशल को रेखांकित करती है।

बौधकि संपदा अधकिार:

- WIPO, बौधकि संपदा के आवधिकारकों या रचनाकारों को वशिष अधकिार प्रदान करने के लयि नयिम स्थापति करता है।
- इससे उन्हें अपने रचनात्मक प्रयासों या प्रतष्ठिा से व्यावसायकि लाभ प्राप्त करने में सुवधि होती है, जो **बौधकि संपदा अधकिार (IPR)** के रूप में ज्ञात कानूनी संरक्षण का एक रूप है।

प्रकार:

- IP के मुख्य प्रकारों में आवधिकारों के लयि [पेटेंट](#), ब्रांडकि के लयि [ट्रेडमारक](#), कलात्मक और साहितयकि कार्यों के लयि [कॉपीराइट](#), गुप्त व्यावसायकि सूचनाओं के लयि व्यापारकि गोपनीयता तथा उत्पाद की प्रस्तुति के लयि औद्योगकि डिज़ाइन शामिल हैं।

भारतीय पेटेंट फाइलकि में अभूतपूर्व वृद्धि में कौन-से कारक योगदान करते हैं?

- नीति सुधार:**
 - हाल के नीतकि सुधारों ने भारत में पेटेंट दाखलि करने की प्रक्रयिा को सुव्यवस्थति और तेज़ कर दयिा है।
 - [राष्टरीय IPR नीति](#) और **IP मतिर** जैसी पहलों ने नवाचार एवं बौधकि संपदा संरक्षण के लयि **अनुकूल वातावरण** का सृजन कयिा है।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस:**
 - ऑनलाइन फाइलकि सिस्टम और नौकरशाही बाधाओं को कम करने सहति **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस** में सुधार ने व्यक्तयिों तथा कंपनयिों के लयि भारत में पेटेंट दाखलि करना अधकि आकर्षक बना दयिा है।
 - डजिटल प्लेटफॉर्म और सरलीकृत प्रक्रयिाओं** ने पेटेंट आवेदन प्रक्रयिा को सरल बनाने में योगदान दयिा है।
- उन्नत नवाचार, अनुसंधान एवं वकिास और प्रौद्योगकिी:**
 - इन्क्यूबेटरों, एक्सेलेरेटर और अनुसंधान संस्थानों** द्वारा समर्थति एक बढ़ते नवाचार पारसिथतिकिी तंत्र ने आवधिकारशील गतिविधिंयिों में वृद्धि को बढ़ावा दयिा है।
 - प्रौद्योगकिी में तेज़ी से प्रगति से, वशिष रूप से **कृत्रमि बुद्धमि तता**, **जैव प्रौद्योगकिी** और **नवीकरणीय ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों में, पेटेंट फाइलकि में बढ़ोतरी हुई है।

- वैश्विक मान्यता और कनेक्टिविटी:
 - नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की अंतरराष्ट्रीय मान्यता ने वैश्विक कंपनियों और अन्वेषकों को देश के भीतर पेटेंट दाखल करने के लिये प्रोत्साहित किया है तथा भारतीय नवप्रवर्तकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं एवं मानकों से अवगत कराया है।
- व्यवसायीकरण के अवसर:
 - बौद्धिक संपदा के वाणज्यिक मूल्य के बारे में बढ़ती जागरूकता ने व्यवसायों और व्यक्तियों को पेटेंट के माध्यम से अपने नवाचारों की रक्षा करने के लिये प्रेरित किया है।
- न्यायिक कार्यान्वयन:
 - हाल के वर्षों में भारत में संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। वर्तमान में जब IPR उल्लंघन के संबंध में प्रवर्तन की मांग की जाती है या मामले को अदालत में लाया जाता है, तो कुछ ही हफ्तों या दिनों के भीतर नरिण्य प्राप्त किया जा सकता है।

भारत के संदर्भ में पेटेंट फाइलिंग की गतिशीलता कैसे बदल गई है?

- भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट आवेदनों की छठी सबसे बड़ी संख्या रखता है, जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा परदृश्य में इसकी उपस्थिति और महत्त्व को दर्शाता है।
- वैश्विक रैंकिंग का संदर्भ अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत की स्थिति पर एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
 - अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के बाद चीन का नेतृत्व, वैश्विक नवाचार परदृश्य की प्रतिसिपर्द्धी प्रकृति पर जोर देता है।
 - हाल ही में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है और अधिक भारतीय नविसियों ने पहली बार विदेशी संस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए पेटेंट दाखल किया है।
- वर्ष 2022 में भारतीय पेटेंट कार्यालय के साथ नविसी पेटेंट फाइलिंग में 47% की पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो भारतीय नविसियों के बीच अपने नवाचारों की रक्षा करने के लिये एक मज़बूत और बढ़ती रुचिका संकेत देता है।
 - भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस उछाल की स्वीकृति भारत के भविष्य के लिये सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह राष्ट्रीय विकास में बौद्धिक संपदा की भूमिका की सरकार की मान्यता को इंगित करता है।

पेटेंट आवेदन में सुधार हेतु अग्रणी कारक क्या हैं?

- सरकारी पहल:
 - बौद्धिक संपदा में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
 - MeitY सोसायटी और अनुदान प्राप्त संस्थानों को IP सुविधा सहायता प्रदान करना।
 - SIP-EIT योजना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग के लिये स्टार्टअप और SME को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
 - अनुसंधान एवं विकास में सरकारी समर्थन का उदाहरण राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation- NRF) की भूमिका से भी प्राप्त होता है।
 - भारत ने वर्ष 1999 से अपने IPR कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं:
 - [राष्ट्रीय IPR नीति](#),
 - [राष्ट्रीय \(बौद्धिक संपदा\) जागरूकता मशिन \(NIPAM\)](#),
 - [कलाम बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता अभियान \(KAPILA\)](#)
- नवप्रवर्तकों की भूमिका:
 - विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण कोविड-19 अवधि के दौरान भारतीय शोधकर्ताओं के योगदान की मान्यता, संकट के समय में नवाचार के महत्त्व को रेखांकित करती है।
- नवप्रवर्तन के लिये उत्प्रेरक:
 - "नवाचार के लिये उत्प्रेरक" की अवधारणा नवाचार को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने में शिक्षा तथा उद्योग के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
 - जैसे- सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र, ज्ञान हस्तांतरण, अंतःविषय दृष्टिकोण, संसाधन पूलिंग, त्वरित अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यावसायीकरण, नवाचार संस्कृति, वैश्विक प्रतिसिपर्द्धात्मकता आदि।
- प्रमुख योगदानकर्ता क्षेत्र:
 - इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, फार्मास्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और सॉफ्टवेयर, ऑटोमोटिव, रसायन तथा सामग्री विज्ञान एवं चिकित्सा उपकरणों सहित विभिन्न क्षेत्र, अपने संबंधित क्षेत्रों में नवाचारों का प्रदर्शन करते हुए, भारत में पेटेंट फाइलिंग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

नोट:

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization- WIPO) द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 देशों में से 40 वाँ स्थान प्राप्त किया है। यह वर्ष 2021 में 46वाँ और वर्ष 2015 में 81वाँ स्थान प्राप्त किये गये रैंक में सुधार का प्रतीक है।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा की क्या भूमिका है?

- नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना:
 - एक मज़बूत IPR पारिस्थितिकी तंत्र नरिमाताओं के नवाचार को वधिक संरक्षण प्रदान करता है। यह व्यक्तियों एवं व्यवसायों को अनुसंधान और विकास में नविश करने के लिये प्रोत्साहित करता है तथा नरितर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। नतीजतन, राष्ट्र तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उन्नत करता है।
- प्रत्यक्ष वदिशी नविश (FDI) आकर्षित करना:
 - मज़बूत बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था वाले देश अधिक FDI आकर्षित करते हैं। एक अच्छी तरह से संरक्षित IP वातावरण वदिशी नविशकों को वशिवास दलिता है कि उनके नवाचारों को सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे उन्हें भारत में नविश करने के लिये प्रोत्साहित कथिा जाएगा।
- उद्यमता और स्टार्टअप को बढ़ावा देना:
 - बौद्धिक संपदा अधिकार स्टार्टअप और उद्यमियों को अपने अद्वितीय वचिारों तथा उत्पादों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। यह सुरक्षा नविशकों को आकर्षित करने एवं स्टार्टअप के विकास के लिये अनुकूल माहौल बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना:
 - IP अधिकार लाइसेंसिंग समझौतों और सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। यह व्यवसायों को नई प्रौद्योगिकियों तथा ज्ञान तक पहुँचने की अनुमति देता है, जिससे वभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के प्रसार को बढ़ावा मलिता है।
- ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाना:
 - कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का संरक्षण साहित्य, कला, संगीत तथा ब्रांडिंग जैसे क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा के नरिमाण एवं व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करता है। यह ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है।
- नरियात प्रतसिपर्द्धात्मकता में वृद्धि:
 - ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क: बौद्धिक संपदा, वशिष रूप से ट्रेडमार्क, वैश्विक बाज़ार में ब्रांड की पहचान और वशिवास बनाने में मदद करते हैं। यह बदले में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय उत्पादों और सेवाओं की प्रतसिपर्द्धात्मकता को बढ़ाता है।
- पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक वरिसत का समर्थन करना:
 - भौगोलिक संकेतों (GI) का संरक्षण वशिषि्ट क्षेत्रों के लिये अद्वितीय पारंपरिक ज्ञान और उत्पादों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह सांस्कृतिक वरिसत को संरक्षित करने तथा पारंपरिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि:
 - बौद्धिक संपदा संपत्तियाँ किसी कंपनी के समग्र मूल्य में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं। उचित रूप से प्रबंधित IP पोर्टफोलियो का उपयोग लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग या यहाँ तक कि ऋण प्राप्त करने के लिये संपार्श्विक के रूप में कथिा जा सकता है, इस प्रकार व्यवसायों के आर्थिक मूल्य में योगदान मलिता है।
- रोज़गार सृजन और आर्थिक प्रभाव:
 - एक मज़बूत IP ढाँचा एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है जो बदले में नए उद्योगों और नौकरी के अवसरों के नरिमाण की ओर ले जाता है।
- वैश्विक मानकों को पूरा करना:
 - वैश्विक व्यापार के लिये अंतरराष्ट्रीय IP मानकों का पालन करना आवश्यक है। वैश्विक IP मानकों के साथ समन्वय बनाकर भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों और साझेदारियों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकता है।
- हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना:
 - पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के लिये पेटेंट को प्रोत्साहित करने से टिकाऊ प्रथाओं के विकास और उन्हें अपनाने के लिये प्रोत्साहन मलिता है, जो आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय स्थिरता दोनों में योगदान देता है।

पेटेंटिंग प्रक्रिया में नवप्रवर्तकों को कनि चुनौतियों का सामना करना पडता है?

- प्रक्रियात्मक जटलिता:
 - पेटेंट आवेदन प्रक्रिया में जटलि दस्तावेज़ीकरण और फाइलिंग प्रक्रियाएँ शामिल हैं। नवप्रवर्तकों को व्यापक कागज़ी कार्रवाई को पूरा करना तथा प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।
- लंबी अनुमोदन प्रक्रिया:
 - भारत में पेटेंट अनुमोदन प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है। पेटेंट की जाँच और अनुदान में देरी नवप्रवर्तकों को हतोत्साहित कर सकती है, वशिष रूप से तेज़ गति वाले उद्योगों में, क्योंकि इससे उनके अधिकारों को तुरंत लागू करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।
- पेटेंट आवेदनों का बैकलॉग:
 - भारत ने परीक्षण की प्रतीक्षा में पेटेंट आवेदनों के एक बैकलॉग (वशिष रूप से उत्पादों या सेवाओं के लिये ग्राहकों के अधूरे ऑर्डर) का अनुभव कथिा है। इस बैकलॉग के कारण पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण में वलिंब हो सकता है, जिससे समय पर नवाचारों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- सीमिति जागरूकता और शकिषा:
 - कई नवप्रवर्तकों, वशिष रूप से व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं पेटेंट प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में सीमिति जागरूकता हो सकती है। शकिषा की कमी के परिणामस्वरूप सुरक्षा के अवसर चूक सकते हैं।
- संसाधनों की कमी:
 - रखरखाव शुल्क के साथ-साथ पेटेंट आवेदन तैयार करने और दाखलि करने से जुड़ी लागत, व्यक्तितगत आवषिकारकों तथा छोटे व्यवसायों के लिये एक बड़ा बोझ हो सकती है। संसाधन की कमी उनके नवाचारों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को सीमिति कर सकती है।

है।

■ कठोर पेटेंट योग्यता मानदंड:

- कठोर पेटेंट योग्यता मानदंड, विशेष रूप से वषिय वस्तु पात्रता के संबंध में चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ नवाचारों, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक क्षेत्रों में पेटेंट योग्यता के मानदंडों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

■ प्रवर्तन मुद्दे:

- पेटेंट प्राप्त करने के बाद भी बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करना एक महँगी और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। संबंधित कानूनी लागतों के कारण नवप्रवर्तकों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

■ बायोपाइरेसी और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित मुद्दे:

- पारंपरिक ज्ञान या जैव-विविधता से संबंधित कार्य करने वाले नवप्रवर्तकों को बायोपाइरेसी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ उनके आविष्कारों का उचित सहमति या लाभ-साझाकरण समझौता कयि बना शोषण कयि जाता है।

भारतीय पेटेंट फाइलिंग के भवषिय की राह क्या है?

- भारतीय पेटेंट फाइलिंग के भवषिय की राह आशाजनक प्रतीत होती है, जो वभिन्न कारकों द्वारा संचालित नरितर वृद्धि से चहिनति है। बौद्धिक संपदा-अनुकूल नीतियों और आर्थिक सुधारों पर ज़ोर देने वाली सरकारी पहल से नवाचार को बढ़ावा मलने की उम्मीद है।
- तेज़ी से वसित्तु हो रहा प्रौद्योगिकी परदृश्य, विशेष रूप से AI, जैव-प्रौद्योगिकी और हरति प्रौद्योगिकियों में पेटेंट संरक्षण की बढ़ती मांग में योगदान देगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के साथ-साथ संपन्न स्टार्टअप पारसिथितिकी तंत्र से पेटेंट फाइलिंग को बढ़ावा मलने की उम्मीद है।
- वैश्विक सहयोग और सरकारी सहायता कार्यक्रम, अनुसंधान एवं विकास के लयि वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश, ज्ञान साझा करने की सुवधि प्रदान कर सकते हैं तथा पेटेंट आवेदनों की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं।
- भारतीय नवप्रवर्तनों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मलने से वैश्विक पेटेंट आवेदनों में वृद्धि हो सकती है। भारतीय पेटेंट नीतियों को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना भारतीय पेटेंट प्रणाली की विश्वसनीयता और आकर्षण को बढ़ाने के लयि एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। कुल मलिकर इन कारकों का संयोजन भारतीय पेटेंट फाइलिंग के भवषिय हेतु एक सकारात्मक राह का सुझाव देता है।
- वैश्विक पेटेंट अनुप्रयोगों में लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास कयि जा रहे हैं, जहाँ वर्ष 2022 में केवल 16.2% आविष्कारक महिलाएँ थीं, इन अनुप्रयोगों में STEM शिक्षा को बढ़ावा देना, मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करना, नेटवर्कगि प्लेटफार्मों को सुवधिजनक बनाना, फंडगि के अवसर प्रदान करना, विशेष IP प्रशिक्षण की पेशकश करना तथा नवाचार एवं बौद्धिक संपदा में समावेशिता व समान अवसरों की दशि में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना शामिल है।

नषिकरष:

भारतीय पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रतीक है, जो नवाचार और बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह प्रमुख क्षेत्रों पर रणनीतिक फोकस, सहयोगात्मक प्रयासों तथा सरकार-अनुकूल नीतियों के साथ, भारत पेटेंट फाइलिंग में नरितर वृद्धि के लयि तैयार है, साथ ही यह चुनौतियों का समाधान करने तथा नवाचार एवं आर्थिक विकास के लयि अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने हेतु एक सक्रयि दृष्टिकोण के साथ भवषिय की संभावना है।

सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न 1. वनरिमाण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लयि भारत सरकार की हालयि नीतगित पहल क्या है/हैं? (2012)

1. राष्ट्रीय नविश और वनरिमाण क्षेत्रों की स्थापना
2. 'सगिल वडि क्लीयरेंस' का लाभ प्रदान करना
3. प्रौद्योगिकी अधगिरहण और विकास कोष की स्थापना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

प्रश्न 2. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति' के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रतर्भारत की प्रतर्बिद्धता को दोहराता है ।
2. औद्योगिक नीति और संवर्द्धन वभिाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को वनियमति करने के लयि नोडल एजेंसी है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C)

प्रश्न 3. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. भारतीय पेटेंट अधनियम के अनुसार, कसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रयिा को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है ।
2. भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है ।
3. पादप कसिमें भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

??????:

प्रश्न. भारत सरकार दवा के पारंपरिक ज्ञान को दवा कंपनयिों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (2019)

प्रश्न: वैश्वीकृत दुनयिा में बौद्धिक संपदा अधिकार महत्त्व रखते हैं और मुकदमेबाज़ी का एक स्रोत है । कॉपीराइट, पेटेंट तथा ट्रेड सीक्रेट्स के बीच व्यापक रूप से अंतर कीजयि । (2014)